experiencing only marginal shortages due to spurt in agricultural demand.

(b) In order to make optimal use of available
power resources and to improve the overall availability of power and generation capacity in the country, following measures are being taken:

- Encouragement to private sector for investment in power sector.
- Renovation and modernisation of existing generating stations.
- Co-ordinated operation of hydro/ thermal/nuclear and gas turbine power stations.
- Encouraging inter-regional power exchanges from surplus to deficit regions.
- Staggering of weekly off/recess hours of industrial consumers and regulation of power supply to agricultural consumers through grouping restrictions to reduce peak demand.
- Augmentation of transmission and transformation capability in the power system.
- Reduction of transmission and distribution losses.
- Installation of shunt capacitors to improve voltage profile.

(c) In the Draft Ninth Plan a capacity addition programme of around 40,000 MW has been envisaged.

(d) Steps have been taken to expedite commissioning of various generating units planned for 9th Plan period. Close monitoring of the construction activities is being carried out to adhere to the targets. Associated transmission facilities have also been planned and are being implemented. Guidelines have also been issued to minimise distribution losses and necessary plans for strengthening distribution system have been formulated.

विद्युत प्रेषण तथा वितरण घाटों में बढ़ोतरी

1657. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1997-98 में विद्युत प्रेषण तथा वितरण घाटों में बढ़ोतरी हुई,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1997-98 में घाटे का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या देश के अन्य सभी राज्यो में से दिल्ली में हुए इस प्रकार के घाटों का प्रतिशत सबसे अधिक है, और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में इस प्रकार की घाटों की आंकलित मात्रा कितनी है तथा इस अधिकतम घाटे के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर.कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1997-98 के विद्युत पारेषण और वितरण हानियों से संबंधित आकंडे अभी उपलब्ध नहीं है, यह सच है कि वर्ष 1993-94 से पारेषण एवं वितरण हानियां (चोरी समेत) बढ़ी है। वर्ष 1996-97 जो कि हानि संबंधित आकंड़ो की उपलब्धता के लिए नवीनतम वर्ष है, के लिए हानियां अखिल भारतीय आधार पर अनंतिम रूप से 23.41 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1996-97 की चोरी समेत पारेषण एंव वितरण हानियां नीचे दी गई है;

वर्ष	**पारेषण एंव वितरण हानियां (अखिल भारत)**
1993-94	21.41 प्रतिशत
1996-97	23.41 (अनतिम)
1997-98	उपलब्ध नहीं

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 1996-97 (आकंडों की उपलब्धता के लिए नवीनतम वर्ष) के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड में चोरी समेत पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत उसी अवधि के लिए 23.41 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 49 प्रतिशत था।

उच्च पारेषण एवं वितरण के कारण नीचे दिए गये हैं :-

1. पारेषण और वितरण प्रणाली में अपर्याप्त निवेश
2. लोड प्वाइंट पर अपर्याप्त अभि-क्रियाशील क्षतिपूर्ति
3. उपस्कर का अपर्याप्त अनुरक्षण
4. उर्जा मीटरों की ऐच्छिक फेर-बदल और बाई पासिंग, उर्जा मीटरों का कार्य न करना, खराब मीटर, मीटर रीडिंग संबंधीअशुद्धियां उर्जा की चोरी अनाधिकृत कनैक्शन।